

## बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001

### विस्तृत सूचना

विज्ञापन संख्या- 46/2014 के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवम् अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य, उर्दू के पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-754, दिनांक-27.03.2019 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 3366, दिनांक-12.03.2019 के द्वारा प्राप्त मंत्रय के आलोक में आयोग के वेबसाईट पर दिनांक- 13.04.2018 एवं 05.07.2018 से प्रदर्शित अर्हित एवं अनर्हित अभ्यर्थियों की सूची को पुनरीक्षित करते हुए नये सिरे से अर्हित तथा अनर्हित अभ्यर्थियों की नयी सूची आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है।

- वैसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के न्यूनतम शर्तों के अतिरिक्त स्नातकोत्तर स्तर पर भारत संघ के किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से Post Graduate in Urdu एवं NET in Urdu, Post Graduate in Urdu एवं Ph.D. With UGC Regulation 2009 in Urdu अथवा Post Graduate (Fazil) in Urdu एवं NET in Urdu उत्तीर्ण है, उन्हें अर्हित की श्रेणी में रखा गया है।
- अर्हित/औपबधिक रूप से अर्हित उम्मीदवारों में से नियमानुसार रिक्तियों के पाँच गुणा उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार देय अधिभार अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची से आरक्षण कोटिवार एवं मेधाक्रमानुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया है।
- वैसे अभ्यर्थी जिनके मैट्रिक/इंटरमीडिएट/स्नातक उपाधियों की समकक्षता का उल्लेख सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-3366, दिनांक-12.03.2019, शिक्षा विभाग के पत्रांक-754, दिनांक-27.03.2019 के अनुलग्नक में उल्लेख नहीं है, परन्तु इन्हें अर्हित की श्रेणी में रखा गया है एवं उक्त उपाधियों के लिये संबंधित उम्मीदवारों को '0' शून्य अंक अधिभारित करते हुए मेधा सूची तैयार की गई है एवं गुणागुण के आधार पर रिक्त के 5 गुणा (अन्तिम उम्मीदवार के समान अंक वाले उम्मीदवार सहित) उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया है।
- विज्ञापन संख्या-46/2014 के अन्तर्गत अर्हित उम्मीदवारों में से नियमानुसार एवं मेधाक्रमानुसार चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिनांक-11.06.2019 से 15.06.2019 तक दो पालियों में प्रारंभ होगा। विस्तृत साक्षात्कार कार्यक्रम एवं आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाईट पर देखा जा सकता है। साक्षात्कार पत्र निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाईट पर अपलोड किया जायगा। जिसे अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक डाल कर Download कर सकते हैं। वांछित सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार की तिथि को सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए कोई अलग से समय देय नहीं होगा।
- साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटिवार Cut-off अधिभार अंक निम्न प्रकार हैं:-

Sl.No	Category	Cut-off
1.	GEN (01)	60.95
2.	S.C (02)	49.15
3.	EBC (04)	49.40
4.	BC (05)	34.00
5.	BCL (06)	40.45
6.	Additional Disabled (VI)	32.80
7.	Additional Disabled (DD)	54.25
8.	Additional Disabled (OH)	43.50

जिन अभ्यर्थी को अपनी अनर्हता पर आपत्ति हो वे संगत साक्ष्य के साथ अपना आपत्ति अभ्यावेदन तथा वैसे अभ्यर्थी जिन्हें उक्त Cut-off Marks के समतुल्य अथवा उससे अधिक अंक होने का दावा हो, तथा जिन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, वे अपनी अधिभार अंकों की गणना तालिका के साथ अपना आपत्ति अभ्यावेदन मात्र e-mail: [bpscpat-bih@nic.in](mailto:bpscpat-bih@nic.in) से दिनांक- 24.05.2019 तक भेज सकते हैं। दिनांक-24.05.2019 को 05.00 बजे अपराह्न के बाद प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

- वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने Ph.D/M.Phil with UGC Regulation 2009 का दावा किया है, उन्हें मुख्य रूप निर्देश दिया जाता है कि वे अपने-अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से निर्गत निम्नांकित प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करेंगे। अन्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।

- Pre Ph.D/Course work का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- Ph.D./M.Phil के निबंधन की तिथि एवं संख्या से संबंधित प्रमाण पत्र।
- Ph.D/M.Phil कितने एवं कौन-कौन Criteria से उत्तीर्ण हैं, से संबंधित प्रमाण पत्र। मात्र Criteria की संख्या लिखने से संबंधित प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।
- Viva-Voice की तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र।

साक्षात्कार की तिथि को यदि उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उनके Ph.D/M.Phil की उपाधि को without UGC Regulation 2009 के अंतर्गत माना जायेगा और तदनुसार ही उन्हें अधिभार अंक दिया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता प्रथम स्तर पर Ph.D with UGC Regulation 2009 के आधार पर स्वीकृत की गयी है, वे अभ्यर्थी No NET, Ph.D without UGC Regulation 2009 के कारण अनर्हित समझे जायेंगे और उसकी जबाबदेही सम्बंधित अभ्यर्थी की होगी।

- यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार के लिए आमंत्रित सभी अभ्यर्थियों की अर्हता पूर्णतः औपबधिक है। उनकी अर्हता पर यथासमय समीक्षा कर यथोचित निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना